## राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (अनुभाग–3)

**क्रमांक एफ 60 (10) ग्रावि/नरेगा/लोकपाल चयन संबंधी/तृतीय/17–18/ e.office.no 135314 जयपुर, दिनांक**

11 MAY 2017

# विज्ञप्ति

## लोकपाल हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 (1) के तहत राज्यों में लोकपाल नियुक्त करने हेतु, अधिनियम अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्राप्त होने वाली विभिन्न शिकायतों एवं अभाव अभियोग के निराकरण आदि की प्रभावी प्रणाली विकसित करने हेतु, जिला स्तर पर लोकपाल की नियुक्ति किये जाने हेतु, श्रीगंगानगर, टोंक, अजमेर, सीकर, जालोर, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, राजसमंद, जोधपुर, बांसवाड़ा, भीलवाडा, झालावाड, प्रतापगढ़, सिरोही, बून्दी, जयपुर एवं चित्तौडगढ़ जिलों के लिए पात्र एवं योग्य अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 15.06.2017 तक रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट या ई–मेल से आमंत्रित किये जाते है :–

**ई–मेल पता : – nrega. raj @ gmail.com**
**रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट, लिफाफे पर लिखे :–**
**विभागीय पता :– आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, कमरा नम्बर 8019, उत्तर पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।**

## लोकपाल हेतु शर्तें निम्न प्रकार से है:–

1. आवेदनकर्ता सार्वजनिक प्रशासन, विधि, शिक्षाविद, सामाजिक कार्य या प्रबन्धन में कम से कम 20 वर्ष के अनुभव के साथ साथ प्रतिष्ठित, निष्ठावान एवं विवाद रहित अखण्ड सत्यनिष्ठा का होना चाहिए तथा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसे लोगों या सामुदायिक संगठन के साथ काम करने का अनुभव एक अनिवार्य योग्यता होगी। आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो तथा उसकी आयु दिनांक 01.12.2017 को 67 वर्ष से अधिक ना हो।
2. आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं समर्थ हो ताकि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण व भ्रमण कर सके।
3. नियुक्ति अधिकतम 2 वर्ष के लिए होगी, जो कार्य मूल्यांकन पर 1 वर्ष के लिए बढायी जा सकेगी, परन्तु 68 वर्ष की अधिआयु पर नहीं बढायी जायेगी।
4. लोकपाल पैनल राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया जावेगा तथा चयनित व्यक्ति को नियमानुसार मानदेय देय होगा।
5. लोकपाल पैनल का चयन जिलेवार होगा। अतः आवेदनकर्ता अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक से प्रमाणित करवाकर इस विभाग को भिजवायें।
6. चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय लोकपाल चयन समिति का ही मान्य होगा।
7. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी के लिए विभागीय website:www.rdprd. gov.in/ nrega.raj.nic.in पर देखे।

(राजेन्द्र सिंह कैन)
**परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस**

c:\Users\Administrator\Desktop\Lokpal\Vigyapti 04-05-2017.doc

**राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परिषद,जयपुर**
**लोकपाल के पैनल हेतु आवेदन पत्र**

## भाग अ – व्यक्तिगत सूचना

**1.** नाम बड़े अक्षरों में (हिन्दी में)........................................................................
(अग्रेजी में)........................................................................

**2.** पिता / पति का नाम ........................................................................

**3.** जन्म तिथि........................................................................

**4.** आयु (दिनांक 01.12.2017 को).......................(जन्म तिथि का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

**5.** डाक का पता (अ) वर्तमान पता........................................................................
........................................................................
(ब) स्थाई पता........................................................................
........................................................................
(निवास का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(स) दूरभाष नम्बर एसटीडी कोड सहित........................................................
(द) मोबाइल नम्बर........................................................
(य) ई–मेल आईडी........................................................

**6.** जिले का नाम जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है प्राथमिकता के कम में
(1)........................................................
(2)........................................................
(3)........................................................

**7.** क्या आप मानसिक व शारीरिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण करने हेतु स्वस्थ है (जिसके लिये किसी भी राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

**8.** क्या आप किसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य है (सदस्य नहीं होने का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें)

**9.** क्या आप का कभी किसी अपराधिक केस में चालान हुआ (यदि हॉ तो विवरण दे, यदि नही तो इस आशय का नोटरी पब्लिक से सत्यापित शपथ–पत्र संलग्न करें)

**10.** क्या आप महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी रूप से जुड़े रहे है, यदि हॉ तो विवरण दे–कब, कहॉ, किस रूप में है ? ........................................................................
........................................................................

**11.** प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित जिले के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुशंषा पत्र संलग्न करें, एवं इन संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पते दूरभाष नम्बर भी संलग्न करें।

## भाग ब – शैक्षणिक योग्यताः–

1. शैक्षणिक योग्यता ........................................................................ (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

2. अनुभव वर्षों में......................................................................................... अनुभव का क्षेत्र लोक प्रशासन विधि/शैक्षणिक/समाज सेवा/प्रबंधन (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का पद एवं तिथि (यदि राजकीय सेवक रहे हैं) ..................................
   सेवानिवृति का पद एवं तिथि ...................................................................

4. किसी सामाजिक/व्यावसायिक संस्था के सदस्य रहे है तो संस्था का विवरण देवें ..........................

5. वर्तमान व्यवसाय ...............................................................................................

## भाग स – घोषणा :–

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें सत्य है। मैने विज्ञापन में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी लोकपाल संबंधी दिशा–निर्देशों को पढ़ लिया है और मुझे पता है कि लोकपाल का कार्य एक अंशकालीन कार्य है। लोकपाल को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, नियम व योजना के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करना है।

स्थान

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक

## भाग –द

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री........................................निवासी.............................. का प्रार्थना पत्र लोकपाल हेतु निर्धारित योग्यतानुसार है तथा मेरी जानकारी अनुसार प्रार्थी की सत्यानिष्ठा एवं प्रतिष्ठा अच्छी है।

हस्ताक्षर..........................

नाम................................

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी नरेगा, जिला..............................

No.L-11011/21/2012-RE-VII
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
MGNREGA Division
--xxxxxx--

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 16.01.2014

To

The Pr. Secretary/ Secretary
Department of Rural Development/Panchayati Raj
All States/UTs

**Subject: Instructions on Ombudsman (as revised on 16.01.2014)**

Sir/Madam,

The Ministry has received representations from the State Governments and Ombudsmen to amend some provisions of the Revised Instructions on Ombudsman issued vide letter no. J-11011/21/2008-NREGA(Part-III) dated 24th May, 2013. Instructions on Ombudsman, incorporating the changes, are enclosed with changes highlighted in bold.

It is requested to bring this to the notice of all concerned for information, necessary action and compliance.

Yours faithfully

Encl: as above

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary (MGNREGA)

Copy to:

1. Sr. PPS to Secretary (RD)
2. Sr. PPS to Additional Secretary (RD)
3. PPS/PS to JS(RE-I)/JS(RE-II)
4. All Directors/DS/US in MGNREGA Division
5. Sr. Technical Director, NIC for uploading on MGNREGA website

# INSTRUCTIONS ON OMBUDSMAN

(As revised on 16.01.2014)

The context:

The English term "Ombudsman" derives from the Swedish word umbudsman which, in turn, is based on the Old Norse "umboosmaor" meaning representative. An Ombudsman is one who advocates for fairness, equity and administrative efficiency.

The Instructions for MGNREGS Ombudsman have been formulated under Section 27 of MGNREG Act with the objective of establishing a system for redressal of grievances and disposal of complaints relating to implementation of the MGNREG Act and the Schemes made under the Act by the States.

## Chapter I

## Preliminary

1. Definitions

In these Instructions unless the context otherwise requires -

1.1 'Authorised representative' means a person duly authorised by a complainant to act on his behalf and represent him in the proceedings before the Ombudsman.

1.2 'Award' means written and signed award of the Ombudsman.

1.3 'Chief Secretary' means the Chief Secretary of the State/Union Territory.

1.4 'Complaint' means a representation in writing containing a grievance alleging deficiency in the implementation of MGNREG Act or Scheme framed there under.

1.5 'Nodal Department' means the Department of the State Government which deals with the implementation of the MGNREG Act and Scheme framed there under.

1.6 'MGNREGA functionary or authority' means any person or persons who have been vested with powers and functions under the MGNREG Act and MGNREG Scheme framed there under.

1.7 'Ombudsman' means any person appointed under Clause 2 of the Instructions.

1.8 'State' means any State, and includes the Union Territory of India.

## Chapter II

2.0 Establishment of the office of MGNREGS Ombudsman

2.1 A selection Committee shall be constituted to recommend appointment of Ombudsman.